अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल,सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्याः 96–32/11

नीलम देवी –– अपीलार्थी

वनाम

राज्य –– रेस्पोण्डेन्ट

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा संदर्भ वाद संख्याः 50/11–12 में पारित आदेश ज्ञापांकः 884–1 दिनांक : 20.08.2011 ई० के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के समक्ष अपील वाद आंगनबाड़ी चयनमुक्ति अपील वाद संख्याः 96/2011–12 दायर किया गया था जो आयुक्त कोशी प्रमडल, सहरसा के आदेश ज्ञापांकः 494/ क० दिनांकः 02.08.2013 के आलोक में जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय से स्थानांतरित होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

संक्षेप में मामला यह है कि "जॉच प्रतिवेदन में ऑगनबाड़ी केन्द्र बखरी पश्चिम, केन्द्र संख्याः 71 प्रायः बेद रहने तथा टी०एच०आर० का वितरण नहीं करने का आरोप है। ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है, जिसे अस्वीकृत किया जाता है।

महिला पर्यवेक्षिका द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमति पुनम देवी, सेविका एवं श्रीमति नीलम देवी , सहायिका केन्द्र संख्याः 71 केन्द्र बखरी पश्चिम, पंचायत–सहुरिया पश्चिम, परियोजना–सौरबाजार को विभागीय पत्रांकः 2723 दिनांकः 25.07.2008 की कंडिका–11 के आलोक में चयन मुक्त किया जाता है। चयन मुक्त सेविका एवं सहायिका जिला पदाधिकारी के यहॉ एक माह के अंदर अपील कर सकती हैं।"

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि आई०सी०डी०एस० के दिशानिर्देशानुसार अपीलार्थी का चयन आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर सहरसा जिला के प्रखंड परियोजना, सौरबाजार अंतर्गत

ग्राम पंचायत– सहुरिया पश्चिमी के बखरी पश्चिम के आंगनबाड़ी, केन्द्र संख्याः 71 वर्षः 2006 में विधिवत रूप प्रारम्भ से किया गया व प्रशिक्षणोंपरांत योगदान देकर केन्द्र का संचालन सही वो सुचारू रूप से विभागीय दिशानिदेश का अक्षरशः पालन करते हुए अपीलार्थी पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा से करती चली आ रही थी। अपीलार्थी के विरूद्ध केन्द्र के संचालय के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत पोषक क्षेत्र के लाभुकों द्वारा और न ही किसी विभागीय पदाधिकारी द्वारा किया गया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के केन्द्र से संबंधित सभी लाभुक अपीलार्थी के ससमय, नियमित, ईमानदार, प्रभावी केन्द्र संचालन से हमेशा ही संतुष्ट रहे हैं। अपीलार्थी के सेवा से संबंधित लाभुकों को कभी कोई शिकायत नहीं रही है। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा भी कई बार अपीलार्थी के केन्द्र का निरीक्षण किया गया है परंतु उनके द्वारा कभी भी अपीलार्थी को केन्द्र से अनुपस्थित नहीं पाया गया। यही नहीं केन्द्र के संचालन से संबंधित कभी भी कोई शिकायत नहीं रही है तथा वे विभागीय दिशानिदेशों का पालन करते हुए अपीलार्थी द्वारा केन्द्र के संचालन से हमेशा संतुष्ट रहे है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि दिनांकः 09.08.2011 को पर्यवेक्षिका शिखा स्वर्णिका द्वारा केन्द्र संख्याः 71 का निरीक्षण किया गया तथा तत्संबंधि अपना निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/रेस्पोण्डेन्ट को समर्पित किया गया जिसमें पर्यवेक्षिका द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि केन्द्र हमेशा बंद रहता है एवं टी०एच०आर० का भी वितरण नहीं किया जाता है जिसके आधार पर वाद संख्याः 50/11–12 की कार्रवाई प्रारंभ की गई। तदोपरांत ज्ञापांकः 827–1 दिनांकः 03.08.11 के माध्यम से संयुक्त रूप से सेविका तथा सहायिका निलम देवी को स्पष्टीकरण हेतु नोटिश निर्गत किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि नोटिश के अनुपालन में अपीलार्थी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने उपर लगे आरोपों से इंकार करते हुए उक्त आरोपों को मिथ्या/असत्य बतलाया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिनांकः 19.08.2011 को अवैधानिक संयुक्त आदेश पारित किया गया जिसके आधार पर केन्द्र संख्याः 71 की सेविका पूनम देवी तथा सहायिका श्रीमति निलम देवी का चयन रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि उक्त पर्यवेक्षिका द्वारा दिनांकः 02.08.2011 या 09.08.2011 को केन्द्र संख्याः 71 का निरीक्षण नहीं किया गया एवं निरीक्षण किये बिना ही पर्यवेक्षिका द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को समर्पित कर दिया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि ज्ञापांकः 827–1 दिनांकः 13.08.11 जो रेस्पोण्डेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित है में यह उल्लेख किया गया है कि पर्यवेक्षिक द्वारा दिनांकः 09.08.2011 को केन्द्र का निरीक्षण किया गया परंतु दिनांकः 19.08.11 को पारित आदेश ज्ञापांकः 884–1 दिनांकः 20.08.11 में रेस्पोण्डेन्ट द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि पर्यवेक्षिका द्वारा दिनांकः 02.08.2011 को केन्द्र का निरीक्षण किया गया जो कि परस्पर विरोधाभाषी प्रतीत होता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा/रेस्पोण्डेन्ट द्वारा संदर्भ वाद में आदेश पारित करते समय अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर कोई विचार नहीं किया गया एवं असत्य एवं निराधार तथ्यों के आधार पर अवैधानिक आदेश पारित किया गया है।

सरकारी विद्वान अधिवक्ता अपने बहस के कम में सरकार के पक्ष में बहस करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात/साक्ष्य के सुक्ष्म परिशीलन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि मुखिया का निरीक्षण प्रतिवेदन जॉच की तिथि में भिन्नता की निम्न न्यायालय के स्तर पर जॉच/विचार किया जाना प्रतीत नहीं होता है।अतएव

	जॉच के दौरान उभरे तथ्यों को जॉच कर निम्न न्यायालय को समुचित आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। 26/3/14 क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा 26/3/14 क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा	